सुप्रीम कोर्ट और चुनावी बॉन्ड स्कीम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 जनवरी, 2020

"सर्वोच्च न्यायालय को चुनावी बॉन्ड की वैधता पर एक त्वरित निर्णय देना होगा।"

चुनावी बॉन्ड योजना या इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम (ईबीएस) के संचालन को रोकने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस संदर्भ में पिछले साल सुनवाई की गयी थी और इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस मामले में अब सर्वोच्च न्यायालय एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपना रहा है।

अप्रैल 2019 में एक आदेश भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राजनीतिक दलों से भारत के चुनाव आयोग (ECI) को सीलबंद कवरों में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए दान का खुलासा करने के लिए कहा था। उस वक्त ष्सीमित समयष् और इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था।

हालाँकि, नौ महीने बाद भी, अदालत का अपनी बात पर अड़े रहना काफी निराशाजनक है, जो इस बात से भी प्रेरित लगता है कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और बॉन्ड खरीद के लिए एक नई खिड़की जल्द ही खोली जाएगी, जिससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलेगा। हाल के खुलासे से पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और ईसीआई ने इस योजना के बारे में अपनी राय दी थी, जिसे वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा सक्षम किया गया था और 2018 में पेश किया गया था।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिकाकर्ता, ने खुलासा किया है कि यह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को गया था। इसके अलावा, ईसीआई ने पहले ही राजनीतिक दलों के योगदान पर कानून में विभिन्न संशोधनों के लिए अपना मजबूत विरोध स्पष्ट कर दिया है।

विशेष रूप से, ईसीआई ने अदालत में दायर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह प्रावधान राजनीतिक दान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए शेल कंपनियों के

इलेक्टोरल बॉन्ड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से दो हफ्तों में जवाब भी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर किया था।
- प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केन्द्र और चुनाव आयोग से एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अंतरिम आवेदन के दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
- गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी याचिका में कहा था कि वित्त कानून, 2017 और वित्त कानून, 2016 में कतिपय संशोधन किए गए थे।
- इन दोनों कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित कराया गया था। इन संशोधनों ने विदेशी कंपनियों से भी असीमित राजनीतिक चंदा प्राप्त करने का रास्ता खोल दिया है।
- याचिका में कहा गया था कि इस तरह के संशोधन बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाते हैं। वित्त कानून, 2017 में चुनावी बॉन्ड का प्रावधान किया गया, जिसके बारे में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत् खुलासा करने से छूट प्रदान की गयी और इस तरह से राजनीतिक दलों को अनियंत्रित तथा अज्ञात स्रोत से धन प्राप्त करने के दरवाजे खुल गए।

निर्माण को सक्षम बनाता है और इस क्लॉज के उन्मूलन से फर्मों को अपने लाभ और हानि के खातों में राजनीतिक योगदान की घोषणा करनी पड़ेगी जो पारदर्शिता को संकट में डाल सकता है तथा विदेशी योगदान पर कानून में संशोधन का मतलब होगा कि राजनीतिक दलों को अनियंत्रित विदेशी निधि प्राप्त होने लगेगी, जो भारत की नीति-निर्माण पर विदेशी प्रभाव को सुनिश्चित करेगी।

कुल मिलाकर, इसने अपनी असमान स्थिति को दर्ज किया था जहाँ चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक धन के लिए काले धन के उपयोग में मदद कर रहा था। इस पृष्ठभूमि में, यह काफी निराशाजनक है कि शीर्ष अदालत ने ईसीआई को याचिका का जवाब देने के लिए एक पखवाड़े का समय दिया है जबकी इसकी स्थिति काफी स्पष्ट है।

क्या है?

- यदि हम बॉण्ड की बात करें तो यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉण्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉण्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉण्ड खरीदेगा फिर जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है उसे दान के रूप में बॉण्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉण्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉण्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
- चुनावी बॉण्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड को चेक या ई-भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है।

अब कम से कम अदालत को यह करना चाहिए कि वह इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई में तेजी लाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार पार्टियों को फंड करने के लिए उपयोग किए जा रहे बेनामी बॉन्ड की प्रणाली को समाप्त करने के लिए हमारे पास मजबूत आधार हैं।

इस तरह की अपारदर्शिता सत्तारूढ़ पार्टी को एक स्पष्ट और अनुचित लाभ प्रदान करती है। चुनावी प्रक्रिया पर इस तरह की अपारदर्शिता का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसे बताना संभव नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर शीघ्र निर्णय की आवश्यकता है।

कमियाँ

- इसमें पार्टियों के व्यय की कोई सीमा तय नहीं है और चुनाव आयोग इसकी निगरानी नहीं कर सकता है। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि जो राशि आ रही है वह काला धन है या सफेद, क्योंकि दाता गोपनीय है। इसमें विदेशी धन भी आ सकता है और आर्थिक रूप से कंगाल हो रही कोई कंपनी भी पैसा दान सकती है। इन परिस्थितियों में सबसे पहले यह प्रतीत होता है कि यह योजना वास्तव में अपने शुरुआती उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है।
- यह योजना दाता को पूरी गुमनामी की सुविधा प्रदान करती है और न तो बॉण्ड के खरीददार और न ही दान प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी की पहचान का खुलासा करने को बाध्य है।
- किसी कंपनी के शेयरधारक अपनी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले दान से अनजान होंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि मतदाताओं को भी यह नहीं पता होगा कि कैसे और किसके माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग मिली है। इसके अतिरिक्त, किसी दानकर्त्ता कंपनी को दान करने से कम से कम तीन साल पहले अस्तित्व में होने की पूर्व शर्त को भी हटा दिया गया है। यह शर्त शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को राजनीति में खपाने से रोकती थी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. 'चुनावी बॉन्ड' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चुनावी बॉन्ड योजना के तहत् केवल बॉन्ड खरीददार के नाम को गोपनीय रखा जाता है।
2. राजनैतिक दल इन चुनावी बॉन्डों की बिक्री किसी भी बैंक में कर सकते हैं।
3. चुनावी बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होगा जिस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. Under the electoral bond scheme, only the name of the buyer of the bond is kept confidential.
2. Political parties can sell these electoral bonds in any bank.
3. The electoral bond will be like a promissory note on which no interest will be paid.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 1

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 21 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख वर्तमान परिस्थितियों में अवरोधक सा दिखाई पड़ता है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

(250 शब्द)

'The Supreme Court's attitude on transparency in electoral bonds appears to be a hindrance under current circumstances.' Do you agree with this statement? Give arguments in favor of your opinion.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।